भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER//154588/2022

<table>
<tr><td>1</td><td>स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें</td><td>जी नही।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।</td><td>सहमत है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</td><td>महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के अन्तर्गत वन मण्डल सिगरौली के वन परिक्षेत्र कर्थुआ एवं चितरंगी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर उच्च स्तरीय टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण का कार्य किया जाना है। वन भूमि पर उच्च स्तरीय टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण हेतु वन मण्डल सिगरौली की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है।
<table>
<tr><th>जिला</th><th>वन मण्डल</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे. में</th></tr>
<tr><td>सिगरौली</td><td>सिंगरौली</td><td>कर्थुआ</td><td>पी–873</td><td>0.090</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>चितरंगी</td><td>आर–14</td><td>0.161</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–12</td><td>0.099</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पी–22</td><td>0.402</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–7</td><td>0.102</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–28</td><td>0.100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–35</td><td>0.270</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पी–6</td><td>0.099</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–46</td><td>0.285</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>1.608</td></tr>
</table>
वन मण्डल सिगरौली के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक आर–14, 12, 7, 28, 35, 46, पी–22, 6 वन मण्डल की कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कारीडोर के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान है।</td></tr>
</table>

		(अ). 2.47(9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो, जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थायी निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेगे। (ब). 2.47(10) कारीडारे में स्थित कक्षों को यथा सम्भव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानान्तरित नहीं किया जाये, यदि ऐसा करना अवश्यम्भावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जाये। कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल सिगरौली द्वारा महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 1.608 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है परन्तु अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है। वन मण्डलाधिकारी सिगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी बैढ़न–2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत वन भूमि पर उच्च स्तरीय टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण हेतु 1.608 हे. वन भूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 24-11-2023
स्थानः रीवा

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.